## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 61 / 2024

अनवान : –

1. विजय कुमार पुत्र पप्पू राम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।

– सायल

**बनाम्**

1. पप्पू राम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. भैराराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. कासीराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. पालाराम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. कृष्ण पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. प्रेम पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. श्योपत पुत्र चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. गुडी पुत्री चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. सीमा पुत्री चन्दरूराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. श्रवण पुत्र पप्पुराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
12. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**

**निर्णय** दिनांक: 20/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 129/129 की कुल 6.2600 हैक्ट भूमि सायल के दादा चन्दरूराम पुत्र नानुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चन्दरूराम पुत्र नानुराम के नाम दर्ज है। चन्दरूराम पुत्र नानुराम का देहान्त हो चुका है। चन्दरूराम पुत्र नानुराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार सायल व अप्रार्थी स0 1 ता 10 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायल स0 1 जो की सायल का पिता है अन्य गैरसायलान के बहकावे में है एवं गैरसायल उक्त भूमि को अनुचित तरीके से अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । इसिलए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:01:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 129/129 के ख0न0 136/[illegible] की 1.5150 हैक्ट, ख0न0 136/7 की 0.7450 हैक्ट कुल 6.2600 हैक्ट कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 10 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पूर्वजो के नाम है और अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षति</u>– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्याया[illegible] में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन [illegible] प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:01:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 129/129 के ख0न0 136/1 की 1.5150 हैक्ट, ख0न0 136/7 की 0.7450 हैक्ट कुल 6.2600 हैक्ट में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:01:07 IST
Reason: SelfAttested